


18.12.25 पत्रावली पेश हुई। ककील वादी का वादी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर  
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाद  
का अदम्य पैरवी- अदम्य हाजिरी में इसी स्तर पर  
खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरंत  
तकमील होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुल्य न्यायालय  
में भेजा गया।

  
(प्रिया बजाज)  
RAS-